2.1

वन भूमि की मांग का औचित्य

परियोजना का नाम :— मंगरूखाल–तनशालीसैण–कालिकाखाल मोटर मार्ग का नव निर्माण। (15.550 किमी.)(8.280हे0)

उपरोक्त मोटर मार्ग की स्वीकृति शासनादेश सं. 6108 / III(2) / 14–33(प्रा.आ.) / 14 दिनांक 19.12.2014 के द्वारा 15.550 किमी. लम्बाई हेतु ₹ 228.00 लाख मात्र के लिए प्राप्त हुई है। इस मोटर मार्ग के निर्माण की मांग क्षेत्रीय जनता एवं स्थानीय जन प्रतिनिधियों द्वारा लम्बे समय से की जा रही है। **यह मोटर मार्ग विकास खण्ड स्याल्दे के अन्तर्गत पड़ता है। इस मोटर मार्ग के निर्माण से ग्रामसभा मगरूखाल, मठखानी, गाजर, तनशालीसैण, बाजकोटी, बजेयीबाखल आदि ग्रामीणों की जनता को सीधे लाभ मिलते हुए आर्थिक एवं व्यापारिक लाभ भी मिलेगा** साथ ही जिला मुख्यालय एवं तहसील मुख्यालय रामनगर से सीधे यातायात से जुड़ने की सुविधा प्राप्त होगी, जिससे स्थानीय जनता को रोजगार प्राप्त होगा व पलायन की कमी के साथ–साथ पयर्टन को भी बढावा मिलेगा। इस हेतु सिविल सोयम भूमि 4.230हैं0 व आरक्षित भूमि 4.050है0 इस प्रकार कुल 8.280है0 वनभूमि के हस्तान्तरण हेतु प्रस्ताव गठित किया जा रहा है। चूँकि यह मार्ग आबादी भाग में नाप भूमि से गुजरता हुआ दूसरे ग्रामों को जोड़े जाने हेतु उस मध्य पड़ने वाली वन भूमि से मार्ग को ले जाना ही एकमात्र विकल्प है, जिस हेतु समरेखण के अन्तर्गत वन भूमि की मांग न्यूनतम है।

कनिष्ठ अभियन्ता	*सहायक अभियन्ता,*	*अधिशासी अभियन्ता,*
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,	*प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,*	*प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,*
रानीखेत	*रानीखेत*	*रानीखेत*